

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग I, खंड (I) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
विदेश व्यापार महानिदेशालय  
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 6 / 2015-2020  
नई दिल्ली, दिनांक: 14 जून, 2021

विषय: विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के परिशिष्ट 2न में संशोधन।

सा.आ.(अ): समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के परिशिष्ट 2न में निम्नानुसार निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं:

क्र.सं.	निर्यात संवर्धन परिषदों/पण्य बोर्डों के नाम	उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले उत्पादों का ब्यौरा।	उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले उत्पादों का संशोधित ब्यौरा
4	भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद	काजू गिरी तरल छिल्का युक्त काजू कार्डिनोल	-
35	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)	1. फल, सब्जी एवं उनके उत्पाद 2. मांस एवं मांस उत्पाद 3. कुक्कुट एवं कुक्कुट उत्पाद 4. डेयरी उत्पाद 5. कन्फेक्शनरी, बिस्कुट एवं बेकरी उत्पाद 6. शहद, गुड़ और चीनी उत्पाद 7. कोकोओ और इसके उत्पाद, सभी किस्म के चॉकलेट 8. अल्कोहल और अल्कोहल रहित उत्पाद 9. अनाज और अनाज उत्पाद 10. मूंगफली, पीनट और अखरोट 11. अचार, चटनी और पापड़ 12. ग्वार गम 13. पुष्प कृषि एवं पुष्प कृषि उत्पाद 14. हर्बल और औषधीय पौधे	1. फल, सब्जी एवं उनके उत्पाद 2. मांस एवं मांस उत्पाद 3. कुक्कुट एवं कुक्कुट उत्पाद 4. डेयरी उत्पाद 5. कन्फेक्शनरी, बिस्कुट एवं बेकरी उत्पाद 6. शहद, गुड़ और चीनी उत्पाद 7. कोकोओ और इसके उत्पाद, सभी किस्म के चॉकलेट 8. अल्कोहल और अल्कोहल रहित उत्पाद 9. अनाज और अनाज उत्पाद 10. मूंगफली, पीनट और अखरोट 11. अचार, चटनी और पापड़ 12. ग्वार गम 13. पुष्प कृषि एवं पुष्प कृषि उत्पाद 14. हर्बल और औषधीय पौधे 15. काजू गिरी 16. तरल छिल्कायुक्त काजू 17. कार्डिनोल





2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद के क्षेत्राधिकार में आने वाले उत्पादों के लिए आरसीएमसी जारी करने/नवीनीकृत करने की शक्तियां निलम्बित की जाती है और एपीडा को तत्काल प्रभाव से काजू गिरी, तरल छिल्लकायुक्त काजू और कार्बोनेल के लिए आरसीएमसी जारी करने के लिए प्राधिकृत अभिकरण के रूप में नामित किया जाता है। तथापि, भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा पहले से जारी आरसीएमसी अपनी शेष वैधता अवधि के लिए मान्य रहेंगे।

अमित यादव

14/06/2021  
(अमित यादव)

महानिदेशक विदेश व्यापार एवं  
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार  
ई-मेल : [dgft@nic.in](mailto:dgft@nic.in)

(फा.सं. एम-5898/एएम-03/पीसी-II (ए)/ई-1414)